

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू


संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:- 20

दिनांक 17.8.2016

संपरिवर्तन आदेश

भारतीय शिक्षण संस्थान एवं विकास समिति धोलाखेड़ा वर्तमान सचिव अमितकुमार पुत्र शिवभगवान राम जाति ब्राह्मण निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित ग्राम धोलाखेड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 986/604 रकबा 0.50 है०, में से 2500 वर्गमीटर का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं 2012 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम, सहित तथा पूरा पता	भारतीय शिक्षण संस्थान एवं विकास समिति धोलाखेड़ा वर्तमान सचिव अमितकुमार पुत्र शिवभगवान राम जाति ब्राह्मण निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा: (क) ग्राम / ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम धोलाखेड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 986/604 रकबा 0.50 है०, में से 2500 वर्गमीटर का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	चालान संख्या 168 दिनांक 12.8.2016 के द्वारा प्रिमियम राशि 52568/- रुपये अक्षरे बावन हजार पांच सौ अड़सठ मात्र
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शांति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के	नहीं


 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

प्रमाणित छायाप्रति

उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

कार्यालय उपखण्ड अकारि उदयपुरवाटी जिला झुझुनु

संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:- 02

दिनांक 12.6.2017

संपरिवर्तन आदेश

भारतीय शिक्षण एवं विकास समिति धोलाखेड़ा वर्तमान सचिव अमितकुमार पुत्र शिवभगवानराम जाति ब्राह्मण निवासी उदयपुरवाटी द्वारा स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित ग्राम धोलाखेड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 986/604 रकबा 0.50 है, किस्म वाणिज्यक में से 0.25 है 0 भूमि का वाणिज्यक से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	भारतीय शिक्षण एवं विकास समिति धोलाखेड़ा वर्तमान सचिव अमितकुमार पुत्र शिवभगवानराम जाति ब्राह्मण निवासी उदयपुरवाटी
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का व्योरा: (क) ग्राम / ग्राम मंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम धोलाखेड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 986/604 रकबा 0.50 है 0, किस्म वाणिज्यक में से 0.25 है 0 भूमि का वाणिज्यक से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	भूमि पूर्व में भूमि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होने के कारण प्रिमियम शून्य होता है।
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
8	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

प्रमाणित छायाप्रति

उप वंजियक उदयपुरवाटी

10
उप वंजियक उदयपुरवाटी